

कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- ¹⁰⁴ ~~107~~ / 2020-21 सन्

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितकरण करने के संबंध में।

आदेश का क०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प की गई कार्रवाई के बारे में
-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------


21/08/2020

जमाबंदीदार श्री/ श्रीमती श्रीमती जेहन बाबू पिता/पति पहना बाबू
 मौजा जोगोहाड थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी -II पृष्ठ संख्या-
 ... में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 16/56-57 / 22-93 के आधार पर दर्ज है।
 जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के प्रामाणिक के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

भूमि की विवरणी:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>जोगोहाड</u>	<u>289</u>	<u>51</u>		<u>0.38</u> <u>1.10</u> <u>1.38</u> <u>2.76</u> (अक)

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 21/08/2020 को उपस्थापित करें।



अंचल अधिकारी
अड़की।

31/08/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/ भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि नियमितिकरण- 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के नियमितिकरण हेतु अनुशंसा किये है।


अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती मिहिरा बाबू पिता/पति पद्म बाबू मौजा-जोशीबाद थाना-अड़की, जिला-खूँटी के नाम से मौजा-जोशीबाद थाना नं० 289 खाता सं० 51 प्लॉट सं० 06 रकबा-2.76 लगान ₹ रुपये अलावे शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितिकरण की स्वीकृति दी जाती हैं

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनुसार ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।


अंचल अधिकारी,
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा-जोशीबाद थाना नं० 289 के पंजी- II भौलुम (VOL-I) के पृष्ठ संख्या-58 पर ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।


अंचल अधिकारी,
अड़की।